



सत्यमेव जयते

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 29/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र मनीराम तंवर निवासी-वी.पी.ओ.-5 ई छोटी, तहसील व जिला
श्रीगंगानगर
मै० श्री गणेश स्वीट्स , एन.एच.-15, सूरतगढ रोड, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 14.03.2018

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2017 को दोपहर 05.45 पी.एम.पर फर्म मै० श्री गणेश स्वीट्स , एन.एच.-15, सूरतगढ रोड, जिला श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक राकेश कुमार पुत्र मनीराम तंवर निवासी-वी.पी.ओ.-5 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में काउन्टर पर स्टील की ट्रे (टब) में रखे **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए गुलाब जामुन में से 2 किलो **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** एक साफ सुखे खाली भिगोने में खरीदे। **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** जिसकी कीमत 320/-रूपये अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की



श्री. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार नमूना सूखे एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां को दिखाया, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** को चारो नमूना प्लास्टिक शीशि को बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंद फार्मलीन डाली, प्रत्येक नमूना प्लास्टिक शीशि पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना प्लास्टिक शीशि को कोर्क से एयरटाइट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर रिलिफ के-820 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता राकेश कुमार ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/2300/एक्ट/2017/2372 दिनांक 01.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-820 **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** अमानक स्तर (Substandard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र मनीराम तंवर निवासी-वी.पी.ओ.-5 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (Substandard Food) पाया गया है। विनोद जी ने जो-जो विवरण इसकी सामग्री के बारे में पूछा था मैंने मेरी जानकारी के अनुसार बताया दिया था, मैं उस समय घबरा गया था, मैं उस समय पुरी जानकारी नहीं दे पाया था। इसी कारण से मेदा के बारे में नहीं बता पाया। मेरी यह प्रथम गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।



कीर्ति शिला नरसिंह (सामग्री)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** का सैम्पल के-820 जांच रिपोर्ट संख्या: एलएस/2300/एक्ट/2017/2372 दिनांक 01.11.2017 द्वारा (**Substandard Food**) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 06- (**Substandard Food**) = Positive पाया गया जबकि Negative as per memorandum होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (**Substandard Food**) पाया गया है। विनोद जी ने जो-जो विवरण इसकी सामग्री के बारे में पूछा था मैंने मेरी जानकारी के अनुसार बताया दिया था, मैं उस समय घबरा गया था, मैं उस समय पूरी जानकारी नहीं दे पाया था। इसी कारण से मेदा के बारे में नहीं बता पाया। मेरी यह प्रथम गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा। अतः लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर इस प्रकरण को समाप्त करने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** " bearing Code No. and Sr. No. K-757 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is (**Substandard Food**) Under Section 3[1][zx] of Food Safety and Standards Act, 2006 due to Presence of Test for starch. जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रुपये 2000-00 (अखरे दो हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Gulab Jamun (Prepared with Vanaspati, Sugar Khoya and Khopra Burada)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नखतदान बारहठ)
न्यून निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा)।
श्रीगंगानगर।